न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 4228-तीन/2013 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 25-6-2009 पारित व्दारा तहसीलदार तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर – प्रकरण क्रमांक 46 अ-3/2008-09

1- हीरालाल राठौर 2- बिहारी राठौर
पुत्रगण चैतू राठौर निवासी ग्राम सिवनी,
तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर,म0प्र0 ---आवेदकगण

विरूद्ध

रामनरेश पुत्र श्यामलाल राठौर
निवासी ग्राम सिवनी,
तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर,म0प्र0 --अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री सुरेश पाठक)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री रजनीश मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 11 -8-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 46 अ-3/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 25-6-2009 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ **प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार जैतहरी को आवेदन देकर मांग की कि उसके स्वामित्व की ग्राम सिवनी स्थित आराजी क्रमांक** 460/2 **का नक्शा तरमीम नहीं है नक्शा तरमीम किया जाय। तहसीलदार जैतहरी ने** प्रकरण क्रमांक 46 अ-3/2008-09 पंजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक जैतहरी से मौके स्थिति अनुसार नक्शा तरमीम के प्रस्ताव मांगे। राजस्व निरीक्षक की ओर से नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत आपत्ति न आने पर आदेश दिनांक 25-6-2009 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अनावेदक की भूमि का नक्शा तरमीम स्वीकार किया। **तहसीलदार जैतहरी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।**

3/ आवेदकगण एंव अनावेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये हैं। अधीनस्थ न्यायालाय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन परिलक्षित है कि तहसीलदार तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर ने प्रकरण क्रमांक 46 अ-3/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 25-6-2009 से अनावेदक की भूमि का नक्शा तरमीम किया है। अनावेदक ने तहसीलदार के समक्ष नक्शा तरमीम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 26-3-2009 प्रस्तुत किया है जिस पर से तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक वृत्त जैहरी से भूमि के स्थल की स्थिति एंव परिमाप अनुसार नक्शा तरमीम के प्रस्ताव मांगे है। राजस्व निरीक्षक ने 25-3-09 क्रो मौके पर जाकर भूमि चिन्हित कर तदाशय के प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जिस पर से तहसीलदार जैतहरी ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत आदेश पारित करके नक्शा तरमीम किया है जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार व्दारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित आदेश अपील योग्य है जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष होगी। तहसीलदार के आदेश दिनांक 26-3-2009 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में

प्रस्तुत निगरानी द्वित्तीय पक्षकारों के हितानुकूल न होने से अमान्य की जाती है। आवेदकगण इस आदेश की प्रति के साथ सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सुनवाई योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर